निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 535) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं0 08/आरोप–01–80/2015,सा०प्र०–4325

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 अप्रील 2017

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–462/99, 112/04 तत्कालीन उप विकास आयुक्त, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–276, दिनांक 28.03.2007) की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–7773, दिनांक 10.08.2010 एवं शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–8479, दिनांक 30.08.2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–11570, दिनांक 10.08.2015 द्वारा श्री प्रसाद से बचाव वयान/लिखित अभिकथन माँगा गया जिसके अनुपालन में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 24.08.2015) समर्पित किया।

अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा में उनके (आरोपित पदाधिकारी) विरूद्ध मनमाने ढंग से एस०जी०आर०वाई० के तहत नई योजनाओं की स्वीकृति देने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद के **पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती (05 वर्षो तक)** करने संबंधी विनिश्चिय पर विभागीय पत्रांक–13426, दिनांक 30.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया जिसपर आयोग की सहमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–462/99, 112/04 (सम्प्रति

सेवानिवृत्त) के पेंशन से **10 (दस) प्रतिशत की कटौती (05 वर्षो तक)** संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1129, दिनांक 31.01.2017 निर्गत हुआ।

2. पेंशन कटौती संबंधी उक्त आदेश के विरूद्ध श्री प्रसाद ने अपना पुनर्विलोकन आवेदन (दिनांक 20.02.2017) समर्पित किया। जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि विभागीय दंडादेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन स्वीकार है अथवा नहीं। जबकि विभागीय संकल्प की कंडिका–3 के अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उनका यह भी कहना है कि मनरेगा योजना सिद्वान्त रूप में दिनांक 02.01.2006 से आ चुकी थी, परन्तु जहानाबाद जिले में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वय हो रहा था। योजनाओं के चयन के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष थे। समिति के निर्णय के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

उक्त क्रम में अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 24.02.2006 को समिति की बैठक हुई थी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम की पुरानी योजनाओं को ही पूर्ण करना था, परन्तु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के समाप्त होने के पश्चात् भी जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें आरोपित पदाधिकारी जो पदेन सचिव थे एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भूमिका में थे, उन्होंने सरकार के निर्णय के विपरीत जाकर नई योजनाओं के चयन के लिए बैठक की एवं योजनाओं की स्वीकृति भी दी। इस तरह योजनाओं की स्वीकृति एवं चयन में हुई अनियमितता के विन्दू पर आरोपित पदाधिकारी ने पुनर्विलोकन आवेदन में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में सरकारी राशि का व्यय होता है एवं इस तरह की अनियमितता उन्होंने बड़े पैमाने पर की, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही में भी जाँच पदाधिकारी ने श्री प्रसाद को दोषी पाया।

3. वर्णित स्थिति में श्री प्रसाद के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन, दिनांक 20.02.2017 को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1129, दिनांक 31.01.2017 द्वारा पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती (पाँच वर्षो तक) संबंधी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 535–571+10–**डी0टी0पी0।**

Website: http://egazette.bih.nic.in